न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 149/2021

2. जीवा खातुन पुत्री मुरादा पत्नी लालखां जाति मुसलमान निवासी राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. रोशनी खातुन पुत्री मुरादा पत्नी ईलाही बक्शं जाति मुसलमान निवासी राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. लखा खातुन पुत्री मुरादा पत्नी लालखां जाति मुसलमान निवासी राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीगण

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15 एएए आरटीएक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :—

3. अधिवक्ता श्री नवीन कामरा प्रार्थीगण की ओर से।
4. राजपैरोकार उपस्थित।

—: आदेश :— **दिनांक :— 15.07.2022**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीगण के पूर्वज साहू खां वल्द पहलवान खां व करीमबक्श वल्द सावन खां जाति मुसलमान निवासी राणीसर ब.हि.ब. सम्वत् 2012 में ग्राम अलादीन का बेरा के ख.नं. 10, 11,15 में कुल 541 बीघा 4 बिस्वा अभिधारी के रुप में भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। जो सम्वत् 2012 से लेकर आज तक निर्विवाद रिकॉर्ड में चली आ रही है। प्रार्थीगण के पूर्वज करीमबक्श के फौत हो जान के बाद प्रार्थीगण की माता मुरादा के नाम व अन्य वारिसों के नाम से दर्ज हुई तत्पश्चात् प्रार्थीगण की माता मुरादां के फौत हो जाने के बाद जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन व अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुई। आराजी मुतनाजा सम्वत् 2012 से पहले जागीर के समय से रिकॉर्ड में खुदकाश्त के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रारम्भ होने से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड थे। जो लगातार आज तक बंदोबस्ती काश्तकार रिकॉर्ड में दर्ज है इसलिए धारा 15 एएए के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:06:26 IST
Reason: SelfAttested

भूमि अल्लादीन का बेरा ख.नं. 10, 11, 15 में 541 बीघा 4 बिस्वा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही जो सम्वत् 2024—2025 से 2027 के मध्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आने के कारण चक बंदी में आ गई तथा चक 1—2 एमडीएम के मुरब्बा नं0 185/54, 46, 38,

30, 47, 56, 48 व मुरब्बा नु0 163/64, 184/25, 33, 41, 49, 58, 50, 42, 24, 16, 18, 35, 43, 51, 19, 20, 27, 28, 29, 37, 59, 60, 52, 44, 36, 21, 45, 53, 61 व मुरब्बा नं. 204/1, 2, 3, 4 में फिट हुई। सम्वत् 2028 से 2052 तक प्रार्थीगण के पूर्वज साहूखं व करीम बक्श साकिन राणीसर बन्दोबश्त काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के पूर्वज के फौत होने के बाद प्रार्थीगण के हिस्सा में चक 2 पीकेएम मुरब्बा 184/49 के किला नं0 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 की 6.1330 हैक्टर यानि 24.05 बीघा व मुरब्बा नं0 154/58 के किला नं0 1 ता 25 की 6.3225 हैक्टर यानि 25.00 बीघा कुल तादादी 49.05 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तो प्रार्थीगण को विरासतन प्राप्त हुई। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वज वगैरा सम्वत् 2012 स पूर्व के बन्दोबस्ती काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा 15 एएए के तहत खातेदारी प्राप्त करने के हकदार व अधिकारी है। अतः प्रार्थनापत्र/वादपत्र पेशकर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को उक्त रकबे का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को फरमावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दिनांक 10.3.22 को दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल किये गए व हल्का पटवारी द्वारा तैयार चैकलिस्ट दिनांक 13.01.2022 बाद तहसीलदार खाजूवाला प्रतिहस्ताक्षर की शामिल पत्रावली है जिसमें सम्वत् 2012 से 2074 तक की जमाबंदी/गिरदावरी पर रिपोर्ट की जाकर निवेदन किया गया है कि चक 2 पीकेएम मु0नं0 184/49 किला नं0 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 की 6.1330 हैक्टर व मुरब्बा नं0 154/58 के किला नं0 1 ता 25 की 6.3225 हैक्टर कुल तादादी 12.4555 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला भूमि जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखां खातुन पुत्रीयान् मुरादा सा0 राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला ब.हि.ब. बन्दोबस्ती काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा पर जीवाखातुन वगैरह कब्जा काश्त है। उक्त रकबा वनविभाग अथवा गजट में नहीं है। उक्त रकबा पर कोई स्थगन या विवाद का अंकन नहीं है।

तहसीलदार खाजूवाला से कार्यालय हाजा के पत्रांक/241 दिनांक 10.03.2022 से मौका रिकॉर्ड के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। उक्त रिपोर्ट/तखा/कोर्ट /2022/250 दिनांक 15.03.22 अनुसार "वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 2 पीकेएम अन्ति चौसाला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी (वर्ष 2020) से स्थाई खाता सं. 26 मु.नं. 184/49 किला नं0 1 ता 25 रकबा 6.1330 है0 कमाण्ड एवं मु0नं0 184/58 के किला नं0 1 ता 9 व 11 ता 25 रकबा 6.0696 है0 कमाण्ड व किला नं0 10 रकबा 0.2529 है0 अनकमाण्ड कुल रकबा 12.4555 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन पुत्रीयान मुरादा जाति मुसलमान साकिन राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला ब.हि.ब. बन्दोबस्ती काश्तकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:06:26 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रकबे की मुताबिक तहसीलदार खाजूवाला की बिन्दुवार वस्तुस्थिति रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. सम्वत् 2012 ख.न. 10, 11, 15 कुल रकबा 541 बीघा 4 बिस्वा भूमि साहुखां वल्द पहलवान खां व करीमबक्श वल्द सावन खां जाति मुसलमान सा. राणीसर ब.हि.ब. का नाम जमाबन्दी अभिलेख में अंकन थी। उक्त रकबा जमाबन्दी सम्वत् 2012, सम्वत्

2016 में यथावत नाम दर्ज रिकॉर्ड है। सम्वत् 2027 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत चकबंदी में आने के कारण उक्त रकबा खसरो से मुरब्बाबन्दी में आ गया।

2. रकबा सम्वत् 2053–56 चक 1–2 एमडीएम में नामान्तरण संख्या 170 दिनांक 25.05.1998, द्वारा विरासतन, करीमबक्श के फौत हो जाने पर शामिल खाता रकबा मुरादा, पीरबक्श, मुराद वगैरह के ब.हि.ब. मे दर्ज रिकॉर्ड हुआ। नया चक 2 पीकेएम में नामान्तकरण संख्या 01 दिनांक 10.08.2001, द्वारा खाता विभाजन मु.नं. 184/49 रकबा 25.00 बीघा एवं मु0नं0 184/58 रकबा 25.00 बीघा कुल 50.00 बीघा रकबा मुरादा पुत्री करीमबक्श जाति मुसलमान सा. राणीसर बन्दोबस्ती खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 09 दिनांक 20.01.2004 द्वारा विरासतन उक्त रकबा जीवाखातुन, रोशनीखातुन, लखाखातुन पुत्रीयान् मुरादा जाति मुसलमान सा. राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला ब.हि.ब. बन्दोबस्ती काश्तकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ।

3. सूची नं. 4 गांव अलादीन का बेरा, मु.नं0 184/49 रकबा 25.00 बीघा एवं मु0नं0 184/58 रकबा 25.00 बीघा भूमि खसरा सं0 11 गांव अलादीन का बैरा के रकबे में से चक 2 एमडीएम में सेट की गई है।

4. वादीगण को उक्त रकबा पूर्वजों से बन्दोबस्ती काश्तकार के रुप में विरासतन मिला हुआ है।

5. वादी द्वारा मौके पर सम्वत् खरीफ 2078 में मु0नं0 184/49 में किला नं0 1, 10, 11, 16 ता 18, 20 ता 21 में सरसों फसल काश्त है तथा मु0नं0 184/58 के मौके पर खाली है। वादीगण द्वारा ही बन्दोबस्ती काश्तकार के रूप में उक्त रकबे दोनों मुरब्बों पर कब्जा काश्त है।

6. रकबे पर वर्तमान रिकॉर्ड में कोई स्थगन आदेश/विवाद का अंकन नहीं है।

प्रार्थीगण की प्रश्तगत रकबे के अलावा भूमि जांच बाबत् तहसीलदार खाजूवाला को सीलिंग सीमा के संबंध में रिपोर्ट बाबत् पत्रांक 428 दिनांक 26.04.2022 को लिखा गया जिसमें तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/कोर्ट/2022/298 दिनांक 05.05.2022 रिपोर्ट अनुसार ''चक 2 पीकेएम मु0नं0 184/49 व 184/58 रकबा 50.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जीवा खातुन, रोशनी, लखा पुत्रीयां मुरादा कौम मुसलमान साकिन राणीसर हाल माधोडिग्गी तहसील खाजूवाला बन्दोबस्ती काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है इसके अलावा उक्त सदस्यों के पति/बच्चों तथा माता के नाम पटवार मण्डल माधोडिग्गी, पटवार मण्डल कुण्डल, पटवार मण्डल सामरदा में कृषि भूमि नहीं है। हल्का पटवारी 7 एस.एस.एम., 22 के.वाई.डी., बल्लर, 8 केजेडी ए, 34 केवाईडी, 2 केडब्ल्यूएम, गुल्लुवाली, 17 केवाईडी, 3 पीडब्ल्युएम, दन्तौर, 14 बीडी, 8 केवाईडी, 2 केएलडी, साहूवाला, पीरणवाली, डेरीपोस्ट, आनन्दगढ़ संबंधित पटवार मण्डलों में प्रार्थी व उनके परिवार के नाम कोई कृषि भूमि नहीं है।'' प्रार्थीगण के संबंध में शपथपत्र शामिल मिसल है। उक्त शपथपत्र में वर्णित [illegible] जमाबंदी प्रति प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पेश की जो शामिल मिसल है।

प्रकरण में तहसीलदार खाजूवाला से प्रश्नगत [illegible] में वर्णित मूल बंदोबस्ती काश्तकार का सम्वत् 2012 से लेकर आज [illegible] छायाचित्र बाबत् रिपोर्ट ली गई जो तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 325 दिनांक 01.0[illegible]022 द्वारा प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कुर्सीनामा अनुसार प्रार्थीयान् के नाम दर्ज नामान्तकरण विरासतन यथा ना0सं0 170 दिनांक 25.08.1998 द्वारा करीमबक्श के फौत होने पर पीरबक्श, मुरादा वगै0 के तथा मुरादा के फौत होने पर ना0सं0 09 दिनांक 20.01.2004 द्वारा जरिये विरासतन जीवाखातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन के नाम दर्ज हुई जो आदिनांक तक दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:06:26 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस दिनांक 11.07.2022 सुनी गई। अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में साक्ष्य/सबूत के तौर पर प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गए है तथा तहसीलदार खाजूवाला महोदय द्वारा भी रिपोर्ट/दस्तावेज आ चुके है। दौराने बहस अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे उपलब्ध दस्तावेजों (तहसीलदार खाजूवाला की चैकलिस्ट, प्रार्थीगण की माता का मृत्यु प्रमाणपत्र, वारिसप्रमाण ग्रा.पं., प्रश्नगत रकबे की जमाबंदी, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिः 15.3.22 व सीलिंग सीमा बाबत् रिपोर्ट दिः 05.05.22 व प्रार्थीगण के शपथपत्र, तहसीलदार रिपोर्ट दिः 01.07.2022 बाबत् कुर्सीनामा) के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया कि जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन पुत्री मुरादा राज काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 15 एएए (2ए) के तहत प्रश्नगत आराजी चक 2 पीकेएम के मु0नं0 184/49 (किला नं0 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 22 ता 25 की तादादी 6.133 हैक्टर व मु0नं0 184/58 के किला नं0 1 ता 25 की तादादी 6.3225 हैक्टर इसप्रकार कुल तादादी 12.4555 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन पुत्रीयान् मुरादा जाति मुसलमान को प्रश्नगत रकबे का तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे एवं 15एएए–2 ए के तहत निःशुल्क खातेदारी प्रदान की जावे।

अदालत द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर अदालत को समाधान है कि जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन पुत्री मुरादा राज काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 15 एएए (2ए) के तहत प्रश्नगत आराजी चक 2 पीकेएम के मु0नं0 184/49 (किला नं0 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 22 ता 25 की तादादी 6.133 हैक्टर व मु0नं0 184/58 के किला नं0 1 ता 25 की तादादी 6.3225 हैक्टर इसप्रकार कुल तादादी 12.4555 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन पुत्रीयान् मुरादा जाति मुसलमान को प्रश्नगत रकबे का खातेदारी घोषित किया जाता है एवं 15एएए–2ए के तहत खातेदारी प्रदान की जाती है। तहसीलदार खाजूवाला तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में आदेश के मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना बाबत् तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:06:26 IST
Reason: SelfAttested